



## सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सेवा में,

कुलसचिव जी  
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी

महोदय,

शासन के पत्र संख्या 7-7/सत्तर-3-2023 दिनांक 15.03.2023 द्वारा नार्कोकोआर्डिनेशन मैकेनिज्म सेन्टर हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- 1- समिति ने अपने संस्थान के आस-पास 100 गज की परिधि के अन्दर तम्बाकू, पान, बीड़ी शराब आदि की दुकाने हटाने के लिये विनयाधिकारी को निर्देशित किया है।
- 2- समिति ने अपने सम्पत्ति कार्यालय को निर्देशित किया है कि एक साईन बोर्ड मद्यपान निषेध का बोर्ड पूर्वी एवं दक्षिणी गेट पर यथाशीघ्र लगाने का अनुरोध करती है। जिस पर Quitline Toll Free No- 1800-11-2356 अंकित हो।
- 3- समिति ने छात्रों के प्रहरी क्लब बनाने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक को क्लब बनाकर नशा उन्मूलन कार्य हेतु अधिकृत करने पर अपनी सहमति दी।
- 4- समिति एन०सी०सी० अधिकारी के माध्यम से कैडेटों के द्वारा नशा विरुद्ध के अभियान चलाने पर अपनी सहमति दी।
- 5- समिति ने यह निर्धारण किया है कि यदि नशा विरुद्ध के अनुपालन में किसी प्रकार की अवहेलना छात्र द्वारा होती है तो उसके विरुद्ध न्याय अधिनियम की धारा-77 व 78 के अन्तर्गत विनयाधिकारी के माध्यम से थाने में प्रथम प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाए।

(प्रो० हरिशंकर पाण्डेय)  
छात्रकल्याणसंकायाध्यक्ष  
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी।

छा०क०सं०- 152/23 दिनांक - 24.05.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित -

- 1- कुलपति के सचिव, कुलपति महोदय जी को अवलोकनार्थ।
- 2- आशुलिपिक कुलसचिव/वित्ताधिकारी।
- 3- विनयाधिकारी को क्रम सं० 01 एवं 05 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
- 4- सम्पत्ति प्रभारी को इस आशय से प्रेषित पत्र कि क्रम सं० 02 के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
- 5- संगणक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना को क्रम सं० 03 के सम्बन्ध में।
- 7- एन.सी.सी. अधिकारी को क्रम सं० 04 के सम्बन्ध में।
- 8- स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेद/ऐलोपैथ।
- 9- सम्बद्ध पत्रावली।

(प्रो० हरिशंकर पाण्डेय)  
छात्रकल्याणसंकायाध्यक्ष  
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी।